नारायण बनाम जगदीश व अन्य
प्रकरण संख्याः– 43 / 2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–21 / 02 / 2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या – 43 / 2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 24 / 04 / 2024
निर्णय दिनांक – 21 / 02 / 2025

अनवान

1. नारायण पिता पीरू जाति नाई निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पिता रूपलाल जाति कलाल निवासी दातंड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. तारादेवी पत्नि शान्तिलाल जाति महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य व खातेदारी कब्जे की भूमि ग्राम दातंड़ा पटवार सर्कल माद तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 85 आराजी संख्या 759 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करता चला आ रहा, किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि के चारों ओर पत्थर की पक्की बाउन्ड्री / सीमा चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थी जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

से मिलते हुए पड़ौसी है एवं हर समय फसल की कटाई एवं बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अशांति कायम रहती है प्रार्थी शांति पूर्वक कास्त, उपयोग व उपभोग भूमि का नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु सीमा बाबत् विवाद विपक्षीगण से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप ये विपक्षीगण बनाया गया है। प्रार्थी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थी को फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षी आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी भाान्ति पूर्वक काश्त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार देवगढ़ को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित ग्राम दांतड़ा पटवार मण्डल माद की खाता नम्बर 85 आराजी संख्या 759 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के

सहायक कलेक्टर, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम दांतड़ा पटवार मण्डल माद की खाता नम्बर 85

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

नारायण बनाम जगदीश व अन्य
प्रकरण संख्याः– 43 / 2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–21 / 02 / 2025

आराजी संख्या 759 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)